फर्द अहकाम

न्यायालय

गोपाल बनाम सरकार

मुकदमा संख्या /वर्ष 105/2022 /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15/2/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/3/24 को पेश हो।	
	7/3/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/4/24 को पेश हो।	Y Singh [illegible] (जाली की ओर से) 7.3.24
	12/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26/4/24 को पेश हो।	
	26/4/24	पत्रावली पेश हुई। उपखण्ड [illegible] [illegible] उपखण्ड [illegible] प्रार्थी का प्रकरण [illegible] किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] से लिखवाया [illegible] दाखिल पत्रावली [illegible] गया पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 105/2022
निर्णय दिनांक : 26.04.2024

1. गोपालराम पुत्र रणजीत जाति मीणा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर
2. नन्छूराम पुत्र रणजीत जाति मीणा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती, पत्थीगढी व कायम किये जाने सीमाअन्तर्गत धारा 111, 128 व 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं 88, 188

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने ग्राम जयसिंहपुरा भू–अभि0नि0 भांखरोटा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1287/583 एंव 757/2 के राजस्व नक्शे को दुरस्त करते हुये नक्शों में उक्त खसरा नम्बरान् की जो भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 583/1, 585 व 586 व 757 में दर्शित किया गया है उसे संशोधित किया जाकर प्रार्थी के खसरा नम्बरों में दर्शित किये जाने हेतु अप्रार्थी स01 को आदेश प्रदान किये जावे साथ ही प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध में सीमाज्ञान व पत्थरगढी के आदेश भी प्रदान किये जावे। अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के हित में हो प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगनेर को को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की ग्राम जयसिंहपुरा भू–अभि0नि0 भांखरोटा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1287/583 एंव 757/2 के राजस्व नक्शे को नियमानुसार जॉच कर दुरूस्त किया जावें। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर